बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

कार्यालयः—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया।

Phone & Fax No- 0631-2220406 , Mob. No. 8986153379, Email id - gaya dfo@gmail.com

पत्रांक 2580 गया / 823001, दिनांक... 30|5|18

प्रेषक,

रणवीर सिंह, भा०व०से०
वन प्रमण्डल; पदाधिकारी
गया वन प्रण्मडल, गया।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।

विषयः— गया जिलान्तर्गत खाता संख्या—870, खेसरा संख्या—1568 एवं 1608 मौजा—फतेहपुर एस०एच०-70 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा) सह नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार, पटना का का रा०क्र० 09 / 18 FC-159 दिनांक 21.02.2018

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार स्थलीय जॉचोपरान्त कंडिकावार विवरण निम्नवत है:—

(I) अपयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल गया—फतेहपुर—रजौली पथ के (मौजा—फतेहपुर) किनारे है। यह पथ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या—S.O.400 दिनांक 16.02.1994 द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित है।

(II) रिटेल आउट लेट में प्रवेश वन पथ की लम्बाई 8.00 मी० तथा चौड़ाई 7.50 मी० कुल 60 वर्गमीटर है तथा रिटेल आउटलेट में निकास वन पथ की लम्बाई 8.00 मी० तथा चौड़ाई 7.50 मी० है। कुल 60 वर्गमीटर कुल रकवा 60+60=120 वर्गमीटर या ~~0.0011~~ 0.012 हे0 है।

(III) अपयोजित होने वाली वन भूमि का रकवा 0.0011 हे0 है।

(IV) प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की संख्या—शून्य है।

(V) संलग्न नक्शा का सत्यापन किया गया।

(VI) FRA 2006 का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को सूचना दिया गया है।

(VI) अपयोजित होने वाली वन भूमि का DGPS Reading संलग्न है।

(VII) स्थल निरीक्षण टिप्पणी संलग्न है।

(VIII) प्रस्तावित रिटेल आउट लेट से पूर्व दिशा में रिटेल आउट लेट की दूरी 20 कि०मी० तथा पश्चिम में 15 कि०मी० है।

(IX) हरित पट्टी बनाये रखने हेतु भारत सरकार द्वारा लगाये गये संशोधित शर्त के अनुसार 50 वृक्षों के लौह गैबियन सम्पोषण के साथ प्राक्कलन संलग्न है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।